हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज भीकाराम वगैरा बनाम मीराराम वगेरा धारा 136 प्रकरण सख्या 90/2014	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2022 राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सख्या 30/2014 भीकाराम वगैरा बनाम मीराराम वगेरा अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम रेकर्ड दुरस्ती हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेंश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जॉच रिपोर्ट मंगवाई गई। बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता अपने प्रार्थना पत्र मे तथ्यो को दोहराया गया। एवं सरहद मौजा ग्राम लूणावास खारा तहसील लुणी के खसरा नम्बर 799 रकबा 24.09 बीधा ग्राम परिहारो की ढाणी मे मिसल मे दर्ज 2/3 के अनूसार पुनः1/2 के सीन पर 2/3 हुक्माराम केक विधिक वारिसान रेकर्ड दुरूस्ती करने का निवेदन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया । जिसमे तहसीदार लूणी से जबाव/मय रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई तहसीलदार लूणी के पत्र कमाक/भूअ/2022/1840 दिनाक 18.04.2022 के तहत जॉच रिपोट प्राप्त हुई। जिसमे तहसीलदार द्वारा वक्त बदोबस्त ग्राम परिहारो की ढाणी लूणावास खारा के खसरा नम्बर 799 रकबा 24.09 बीधा मे नेनू वल्द रामा 1/3 हुक्मा वल्द लिच्छमण 2/3 के नाम दर्ज है जमाबन्दी सवत 2015–2018 एव लगातार 2027–2030 तक मे प्रार्थीगण का हिस्सा इन्दाज नही है जमाबन्दी सवत 2031–2034 मे प्रार्थीगण का हिस्सा इन्दाज नही है। जमाबन्दी सवत 2035–2038 तथा तत्पश्चात कि जमाबदीयो मे प्रार्थीगण का हिस्सा 1/2 मे दर्ज इन्दाज है नामान्तरकरण सख्या 33 ग्राम परिहारो की ढाणी प्रार्थीगण के पिता हुकमाराम की विरासत का नामान्तरकरण मे भी हिस्सा 1/2 इन्दाज है राजस्व रेकार्ड दुरूस्ती नही किया जाने की अनुशाषा तहसीलदार लूणी द्वारा की गई तथा इन तमाम परिस्थितियो मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नही होता है। अत– प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता हैं प्रकरण 136 के तहत रेकर्ड दुरूस्ती का नही बनता प्रकरण खारिज योग्य है। पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	